न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 115/2020
GCMS No.- : 2020/00268

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. प्रेम कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया जाति भांबी, निवासी मोहन नगर ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

बनाम

1. बुधा पुत्र पूना कौम जाट सा खातेदार रास।
2. ओगड.राम पुत्र भालाराम कौम गुर्जर सा खातेदार निम्बेटी रास।
3. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

दावा बाबत् घोषणा, बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.23/10/2020**

उपस्थितः. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 23/06/2021**

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम रास पटवार हल्का रासप्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 247 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, की आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादी78/195 हिस्से यानि 3 बीघा 18 बिस्वा 00 भूमिपर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त हैमगर वादीव प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा । वर्तमान जमाबन्दीसम्वत 2072 से 2075 की व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादीएवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड [illegible] के कानूनी बंटवारा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीएवं प्रतिवादीगण के नाम [illegible]कार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त [illegible] मुताबिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व [illegible] दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीके साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को [illegible]र विवाद करते रहते है एवं वादी की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादीको हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पर वादीएवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। वादी की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि78/195 हिस्से यानि 3 बीघा 18 बिस्वा 00 बिस्वांसीभूमि मौके पर बंटी हुई है। वादीका अलग सें कब्जा व काश्त हैवादीने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 30.09.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई काननी अधिकार नही हैवादी अपनी भूमि का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादीअपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है यदिप्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीको असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीको बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफप्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने केअधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 3तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 30.09.2020को वादीद्वारा प्रतिवादीगण कोवादीगण के हिस्से की भूमिका बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करनेएवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीको उनके हक हिस्से व कब्जे की भुमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम रास तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिगण संख्या 01 व 02 ने जवाब दावा पेश किया जो सा0मि0 है। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जवाब दावा में कथन किया है कि वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कथन कि सरहद मौजा ग्राम रास पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 247 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त खसरे की भूमि में वादी 78/195 हिस्सा यानि 03 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर रिकोर्डेड खतेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सामलाती दर्ज है व नक्शा देश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शायी गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नही है "सही होने से स्वीकार है।" लेकिन उक्त भूमि मौके पर बंटी हुई होने बावत वादी ने वादपत्र में न तो पड़ौस दर्शाया है न ही नजरी नक्शा बनाकर वादपत्र के साथ पेश किया है। लेकिन जवाब दावा के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से नक्शा ट्रेस एवं नजरी नक्शा पेश है। वादपत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन कि "कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कानूनी बंटवाड़ा नही हो रखा हे तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाग राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है के कथन सही होने से स्वीकार है" तथा पैरा संख्या 02 का शेष कथन व तथ्य गलत मनगढ़त व असत्य होने से अस्वीकार है। क्योकि मौके पर वादी ने बरोज भूमि खरीद के समय की कायम माठ अनुसार अपने मनमाने तरीके से अपनी खरीद सुदा भूमि के चारो तरफ सीमेन्ट के पोल रोपकर तारबन्दी कर रखी है तथा अपने हक हिस्से की भूमि के कुछ भू दृ भाग में नीम के वृक्ष लगा रखे है तथा कुछ भू भाग में काश्त है। वादपत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन असत्य झूठे व कपोल कल्पित व निराधार होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन असत्य झूठे व कपोल कल्पित व निराधार होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 05 कानूनी है जो काबिल गौर अदालत बाला के है। वादपत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन बिनाय वाद है, जो वादी ने वादपत्र पेश करने की गरज से तथ्य अंकित कर वादपत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है। अतः जवाब दावा पेश मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात् पेश कर निवेदन है कि वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने जवाब दावा में कथन किया है कि वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कथन कि सरहद मौजा ग्रमा रास पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 247 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त खसरे की भूमि में वादी 78/195 हिस्से यानि 03 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर गारीरिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर नूनि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रूप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शायी गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नही है, सही होने से स्वीकार है। लेकिन उक्त भूमि मौके पर बंटी हुई होने बाबत वादी ने वादपत्र में न तो पड़ौस दर्शाया है न ही नजरी नक्शा बनाकर वादपत्र के साथ पेश किया है। वादपत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन कि कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कानूनी बंटवाड़ा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है के कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सही होने से स्वीकार है तथा पैरा संख्या 02 का शेष कथन व तथ्य गलत मनगढ़त व असत्य होने से अस्वीकार है। क्योकि मौके पर वादी ने बरोज भूमि खरीद के समय की कायम माठ अनुसार अपने मनमाने तरीके से अपनी खरीद सुदा भूमि के चारो तरफ सीमेन्ट के पोल रोपकर तारबन्दी कर रखी है । तथा अपने हक हिस्से की भूमि के कुछ भू दृ भाग में नीम के वृक्ष लगा रखे है तथा कुछ भू भाग में काश्त है। वादपत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन असत्य झूठे व कपोल कल्पित व निराधार होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन असत्य झूठे व कपोल कल्पित व निराधार होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 05 कानूनी है जो काबिल गौर अदालत बाला के है। वादपत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन बिनाय वाद है, जो वादी ने वादपत्र पेश करने की गरज से तथ्य अंकित कर वादपत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है। है। अतः जवाब दावा पेश मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात् पेश कर निवेदन है कि वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ने जवाब दावा में अपनी सहमति जाहिर कर उक्त वाद को राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त वाद को पक्षकारान में बंटवाड़ा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने की इस्तदुआ की है। अपनी-अपनी सहमति के वकुलाय ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, जवाब दावा, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई और गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण, जिला- पाली(राज0) सम्वत् 2073-2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 247 रकबा 09-15 बीघा में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम रास पटवार हल्का रासप्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 247 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। [illegible] जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/[illegible] 01/06/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण [illegible]/2021/1474 दिनांक 14/06/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् [illegible]ड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– आ. कालू, पटवार हल्का– आ. कालू तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 247 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म	लगान
1	प्रेम कुचेरिया पुत्र चेनाराम कुचेरिया कौम रेगर सा. मोहन नगर, ब्यावर तहसील – ब्यावर जिला–अजमेर	247	3–18	बारानी दोयम	0.97
2	ओगड़राम पुत्र भालाराम कौम गुर्जर हि. 39/117 सा.देह बुधा पुत्र पूना कौम जाट हि. 78/117 सा.देह खातेदार।	247/2	5–17	बारानी दोयम	1.46

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/06/2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. प्रेम कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया जाति भांबी, निवासी मोहन नगर ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

1. बुधा पुत्र पूना कौम जाट सा खातेदार रास।
2. ओगड़.राम पुत्र भालाराम कौम गुर्जर सा खातेदार मिम्बेटी रास।
3. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 115/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– आ. कालू, पटवार हल्का– आ. कालू तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 247 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म	लगान
1	प्रेम कुचेरिया पुत्र चेनाराम कुचेरिया कौम रेगर सा. मोहन नगर, ब्यावर तहसील – ब्यावर जिला–अजमेर	247	3–18	बारानी दोयम	0.97
2	ओगड़राम पुत्र भालाराम कौम गुर्जर हि. 39/117 सा.देह बुधा पुत्र पूना कौम जाट हि. 78/117 सा.देह खातेदार।	247/2	5–17	बारानी दोयम	1.46

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल [illegible] कर्जा अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23 [illegible] /2021 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारीपदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मोहर

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	02-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः-	05-00	मिजानः-	02-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:18 IST
Reason: SelfAttested